106

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. / /2016 निगरानी निग 2614-I/16 निगरानी

श्रीराम शुक्ला पुत्र स्व.श्री शिवनाथ ब्रा. निवासी–ग्राम सरवई तहसील गौरीहार जिला छतरपुर (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1. जमुना प्रसाद पिता शिवनाथ ब्रा. निवासी – सरवई तहसील गोरीहार जिला छतरपुर(म.प्र.)
2. म.प्र. शासन ....अनावेदक

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चावरा द्वारा आज दि. 4/8/16 को प्रस्तुत

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.06.2016 पारित द्वारा नायाब तहसीलदार सरवई तहसील गौरीहार जिला छतरपुर के प्र.क्र. 8/A-3/2015–16/ से असन्तुष्ट होकर

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

ब्रजेन्द्र सिंह चावरा 4/8/16

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 1486/1–ख का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक सरवई तहसील गौरीहार के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/A3/2015–16/ से दर्ज कर सीमांकन हल्का पटवारी द्वारा किया जाकर पंचनामा सूचना का सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया।
2. यहकि, कि राजस्व निरीक्षक सरवई द्वारा पाया गया कि उक्त विवादित खसरा नम्बर की तरमीम नक्से पर बनी नहीं पाई जाती जिससे सीमांकन के समय निश्चित सीमा त्रुटिपूर्ण है सीमा त्रुटिपूर्ण होने से सीमांकन दिनांक 18.04.2016 से निरस्त किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 2614-एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
5-8-16	यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त सरवई तहसील गौरीहार जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 8 अ-3/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-6-2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के साथ नायव तहसीलदार वृत्त सरवई तहसील गौरीहार जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 8 अ-3/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-6-2016 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार ने इस आदेश से ग्राम वरवई की भूमि सर्वे नंबर 1486/1 ख रकबा 0.445 हैक्टर का नक्शे में तरमीम किया है यह कार्यवाही नायव तहसीलदार ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया है एंव इन धाराओं के अधीन पारित प्रत्येक आदेश अपील योग्य है जिसके कारण आवेदक के पास अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील का उपचार प्राप्त होने से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी में विचार करना उचित नहीं है। अतः निगरानी गुणदोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	